किसान दुर्घटना बीमा योजना

राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में फसली ऋणी किसानों को 27 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 6 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है।

देय लाभ

बीमित व्यक्ति के आंख, हाथ या पैर में से किसी एक अंग की स्थायी अपंगता पर 3 लाख रुपए, किन्हीं दो अंगों की स्थाई अपंगता अथवा दुर्घटना में मृत्यु पर 6 लाख रुपए का बीमा किसान को मिलेगा।

राजस्थान किसान दुर्घटना बीमा योजना पात्रता

- किसान क्रेडिटकार्ड धारक सदस्य, शीर्ष सहकारी बैंक, समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं पेक्स के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले सभी सदस्य एवं अमानतदार।
- सहकारी बैंकों के खाताधारक भी योजना से जुड़ सकते हैं
- सहकारी बैंकों के खाताधारक सदस्यों को इस योजना का लाभ 54 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर मिलेगा।
- पीड़ित परिवार को सीधे खाते में मिलेगी बीमा राशि
- बीमा योजना का पीड़ित परिवार को तत्काल और पूरा लाभ मिले , इसको ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवार या व्यक्ति को राशि सीधे खाते में दी जाती है।

राजस्थान किसान दुर्घटना बीमा योजना में ऑफलाइन आवेदन

राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन सहकारी समिति या केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा में किया जा सकता है।

राजस्थान किसान दुर्घटना बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन

- दोस्तों किसान दुर्घटना बीमा योजना की राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको किसान दुर्घटना बीमा योजना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा|
- इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें |
- इसमें आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है ध्यान पूर्वक भरे अब सबमिट बटन पर क्लिक करें |
- इस प्रकार से आप राजस्थान किसान दुर्घटना बीमा योजना की राशि प्राप्त कर सकते हैं |